




फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बनाम गोकुल (कॉरा)

किस्म मुकदमा प्रौढा 111-12-2 नं० 118 सन् 2023

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
3.23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 15.9.23 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
15/9/23	<p>उपपक्ष उपस्थित, पीछापीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / उपस्थित नर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.9.23 को पेश हो।</p> <p> रीउर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल</p>	
29/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कामें स्वाम/परिपन्न रखने से पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो।</p>	
17/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई, पकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कल-कल कर आवापे दिखायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके किरह एउ तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते हैं वकील प्रार्थी का डा यत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुणक से किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के लक्ष्यकार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 118/23 प्रा०पत्र

1- श्री भूक ७/० हांगा कलाई निवासी- गौगास तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोफल ७/० श्री हांगा कलाई निवासी- गौगास तहसील- माण्डल [वगैरा]
(संबंधित प्रा०पत्र सलग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक:- 17-10-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गौगास पटवार हल्का गौगास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 119, 631, 632, 634, 635 कुल कित्ता 05 रकबा 2.0487 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-08-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गौगास पटवार हल्का गौगास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 119, 631, 632, 634, 635 कुल कित्ता 05 रकबा 2.0487 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बुधाराया को 1200 रु. समये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा